UPSI120000982002

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ–सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी–(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP3421
दाण्डिक वाद संख्या–420/2002

सरकार उत्तर प्रदेश .....अभियोजन।

बनाम

01. अभय पुत्र बाबूराम।

02. राजेश कुमार पुत्र बाबूराम निवासीगण ग्राम बढहिन पुरवा, थाना रेउसा, जनपद सीतापुर। **.....अभियुक्तगण।**

एन०सी०आर० सं० 3/2002
धारा–352, 506, भा०दं०सं०
4/10 P. T Act.
थाना रेउसा, जनपद–सीतापुर।

निर्णय

1– थाना रेउसा, जनपद सीतापुर पर पंजीकृत एन०सी०आर० सं० 3/2002 अन्तर्गत धारा 4/10 P. T Act. के प्रकरण में अभियुक्तगण अभय व राजेश कुमार के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर यह वाद संस्थित हुआ।

2– प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण अभय व राजेश की ओर से इस आशय का संस्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी जोर दबाव के जुर्म को स्वीकार कर रहे हैं। अतः उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को समाप्त करने की कृपा की जाये।

3– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण अभय व राजेश का बयान लिपिबद्ध किया गया।

4– न्यायालय के मत में अभियुक्तगण द्वारा संस्वीकृति प्रार्थना पत्र स्वेच्छया प्रस्तुत किया गया है, इसलिए अभियुक्तगण का संस्वीकृति प्रार्थना पत्र धारा 252 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकरण में आरोपित अभियुक्तगण अभय व राजेश को स्वेच्छया संस्वीकृति के आधार पर धारा 252 दं०प्र०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण अभय व राजेश को अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनाँक 24.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

लंच बादः–

5– लंचबाद पत्रावली पुनः पेश हुई। अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियोजन अनुपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2026.07.28 11:33:27 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge Junior Division Biswan Sitapur

6– दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकृति का प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाया गया है। अभियुक्तगण की स्थिति एवं मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्तगण अभय व राजेश को एन०सी०आर० सं० 3/2002 अन्तर्गत धारा 4/10 पी०टी एक्ट थाना रेउसा, सीतापुर के प्रकरण में दोषसिद्ध पाया जाता है, एवं प्रत्येक अभियुक्त को धारा 4/10 पी०टी एक्ट के अन्तर्गत 710/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने से चूक होने पर अभियुक्तगण 10 दिन के साधारण कारावास की सजा भोगेगा। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनाँक 24.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

आज दिनाँक 24.07.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँक 24.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

सुयश/–